[अध्यक्ष महोदय]

३०

अध्यक्ष निदेश दें, श्री संगण्णा के स्थान पर जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तृतीय पंच वर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा-पटल पर रखी गई थी, विचार किया जाये ।"

मैंने आज से ठीक एक वर्ष पहले, २२ अगस्त, १९६० को तृतीय योजना की प्रारूपित रूपरेखा पर विचार करने का प्रस्ताव रखा था । सभा ने उसका अनुमोदन किया था । मैंने ही प्रथम पंच-वर्षीय योजना दिसम्बर, १९५२ और द्वितीय योजना मई, १९५६ में सभा के सामने रखी थी ।

मैं योजना आयोग का सभापति हूं, परन्तु मैं इसे योजना आयोग की ओर से पेश नहीं कर रहा हूं, इसलिये कि यह योजना सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों, अन्य संगठनों और विशेषज्ञों तथा पंचायतों के सम्मिलित प्रयास का फल है । इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर, संसद्-सदस्यों ने भी इसकी तैयारी में योग दिया है । इसके प्रकाशन के बाद से अब तक अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया इसके पक्ष में ही रही है । थोड़ी आलोचना भी हुई है । कुल मिला कर इसका स्वागत ही हुआ है ।

यह सही है कि सत्तारूढ़ दल इस योजना का पूरा-पूरा समर्थन करता है, इसलिये कि यह योजना उन सिद्धान्तों की प्रतीक है जो पिछले ३२ वर्ष से उसके अपने रहे हैं ।

१९२९ से ही कांग्रेस के दो ही उद्देश्य रहे हैं : लोकतंत्र और समाजवाद । कांग्रेस के संकल्पों में जहां तहां समाजवाद का जिक्र आता रहा है । उसका विचार और उसकी धारणा का विकास क्रमशः होता रहा है । बल्कि १९२९ से पहले भी कांग्रेस में ऐसे लोग रहे है जो इन उद्देश्यों में विश्वास करते थे ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस तृतीय योजना को दलगत भाव से नहीं, राष्ट्रीय भाव से स्वीकार किया जाना चाहिये । इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये । जाहिर है कि आलोचना और सुधारों की गुंजाइश तो रहनी ही चाहिये । मुझे गर्व है इस बात पर कि इस योजना में जिस व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को रखा गया है, उस पर कांग्रेस ने शुरू से जोर दिया है ।

और, देश स्वतंत्र होने के बाद, हमने इस सामाजिक दृष्टिकोण को अमल में लाने का प्रयास किया है पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा । धीरे-धीरे योजनीकरण का यह विचार जनता के सोचने का तरीका बनता जा रहा है । जनता अब इनको अधिक समझने और इनका अनुमोदन करने लगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव

पिछले कुछ गत वर्षों से, शायद दस अथवा कुछ अधिक वर्षों से हम योजना बना रहे हैं और निश्चय ही यह आश्चर्य की बात है कि इस योजना ने विदेशों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और यह बात गौरव की भी है। हमारी योजनाओं ने उन देशों का ध्यान भी आकर्षित किया है जिनकी अर्थ व्यवस्था हमारी अर्थ व्यवस्था से भिन्न है। मैं यह तो नहीं कहता कि हमने जो कुछ कहा है अथवा जो कुछ करने का हमारा इरादा है उससे वे पूर्णतः सहमत हैं लेकिन उन्होंने इस बात को अधिक महत्व दिया है कि भारतीय अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने योजना के मूल सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। योजना के सामान्य ढांचे को भी उन्होंने स्वीकार किया हैं। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन बातों को भी नहीं समझते हैं जिनकी महानता को विदेशियो ने समझा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं आलोचना पसन्द नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आलोचना की जाये।

मैं कहूंगा कि हमारी योजना, यदि इसके स्थूल रूप की तथा इसके विभिन्न पहलुओं को लिया जाये तो, एक ऐसी योजना है जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारे ऊपर थोप दी गई है। और ऐसे देशों द्वारा बहुत पसन्द की जा रही है जो कि इसके लिये कुछ करना चाहते हैं। वे देश हमारे देश की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हैं। वे विभिन्न कारणों के आधार पर इस योजना में एवं हमारी प्रगति में रुचि रखते हैं।

सर्वप्रथम मैं उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस योजना को तैयार किया हैं। विशेष रूप से मैं श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने योजना आयोग में दस वर्ष तक कार्य किया। उनके परिश्रम एवं उनकी कार्यसंचालन गति एवं उन्होंने योजना के कार्य में जो सहायता दी है उस के आधार पर मैं कह सकता कि वह योजना की आधार भित्ति है। हालांकि अब वह योजना आयोग में नहीं हैं किन्तु अब वह राज्य सभा के सदस्य हैं और उनका परामर्श एवं उनका पथ प्रदर्शन अब भी हमें मिल सकता है। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्हों ने अकथ उत्साह एवं परिश्रम से कार्य किया है। जिस सामाजिक उद्देश्य की सामने रख कर उन्होंने यह योजना तैयार की है निसन्देह वह सराहनीय है। पहली, दूसरी योजनाओं में इस उद्देश्य की झलक मिलती है और तीसरी योजना में इसकी आभा अधिक से अधिक दिखाई पड़तीहै। यह बात सत्य हैं कि एक उद्देश्य की पूर्ति करते समय विभिन्न प्रकार की अन्य कठिनाइयां भी हमारे सामने आया करती हैं।

यह योजना हमारे सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल है। इस योजना में सामाजिक पहलुओं पर अधिक से अधिक बल दिया गया है।

पिछले दस वर्षों की योजना अवधि में हमने देखा है कि हमारी प्रगति जो कि रुकी थी उस को आगे बढ़ाया है।

पहली दो योजनाओं के दौरान में राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस दौरान में जनसंख्या में ७७० लाख की वृद्धि हुई है लेकिन इस के बावजूद भी प्रति व्यक्ति की आय २८४ रु० से बढ़ कर ३३० रुपये हो गई है। सभी क्षेत्रों में हुई वृद्धि ही इस वृद्धि का कारण है। इस दौरान में कृषि में, औद्योगिक उत्पादन में, तथा विद्युत् शक्ति के उत्पादन में क्रमशः ४१, ९४ और १४८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यातायात के आवागमन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र की यह वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बढ़ती हुई शिक्षा के कारण एक प्रकार से सामाजिक क्रान्ति हुई है। जहां कभी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वहां वे अब स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। वह बात दूसरी है कि शिक्षा की

[श्री जवाहरलाल नहरू]

किस्म अच्छी नहीं है । शिक्षा के क्षेत्र में इस बात की आवश्यकता है कि बच्चों के लिये दुपहर के खाने की व्यवस्था की जाये । मद्रास सरकार ने इस बारे में पग उठाया है और आशा है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे ।

इन वर्षों का एक उल्लेखनीय पहलू वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में की गई प्रगति है । इस प्रगति को और तीव्रगामी बनाने के लिये हम ने आधार तैयार कर दिये हैं । इन वर्षों में जीवन निर्वाह की दशा में सुधार के फलस्वरूप देश के लोगों की औसत आयु ३२ से बढ़ कर ४७.५ हो गई है । यह वृद्धि बहुत ही प्रशंसनीय है ।

इन दस वर्षों के दौरान में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के सम्बन्ध मे हमारे सामने बहुत सी कठिनाइया आईं । ९० लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आये ।

इस अवधि मे हमारे सामने दो सामाजिक उद्देश्य थे । (१) लोकतंत्रीय आधार पर तीव्रता के साथ विस्तार और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की स्थापना, (२) सामाजिक न्याय के आधार पर सामाजिक ढाँचा तैयार करना एवं प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देना । इन उद्देश्यों को सदैव ही ध्यान में रखा तथा रखना होगा वर्ना सारा उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा । हमारी योजनाओं के सामाजिक लक्ष्य अपने सामने रखने के लिये हमें पंचवर्षीय योजना ही नहीं वरन् एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस से लाभ दीर्घकाल तक प्राप्त होते रहें । हमारा यही करने का इरादा है। योजना आयोग का एक मुख्य कार्य होगा पन्द्रह वर्षीय योजना तैयार करना ।

राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है । १९६०-६१ में यह आय १४,५०० करोड़ रुपये होगी और १९७५-७६ में यह आय बढ़ कर ३३-३४,००० करोड़ रुपये हो जायेगी । ऐसी आशा है कि प्रति व्यक्ति की आय भी जो अब ३३० रुपये है १९७५-७६ में बढ़ कर ५३० रुपये हो जायेगी । पहली योजना में ३,३६० करोड़ रुपये, दूसरी में ६,७५० करोड़, तीसरी में १०,५०० और चौथी तथा पांचवीं योजनाओं में क्रमशः १७,००० और २५,००० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे । अस्थायी तौर पर हम ने चौथी योजना के लिये लक्ष्य भी तैयार कर लिये है कि किस किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख कर हमें पन्द्रह वर्षीय योजना तैयार करनी होगी । हर योजना के दो पहलू हुआ करते हैं । एक पहलू तो उसका काम होता है अर्थात् कितना कार्य उस योजना के दौरान में किया जायेगा और दूसरा पहलू होता है कि उस योजना को क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास कितना धन है ।

योजना के लिये बाहरी सहायता एवं विदेशी मुद्रा की काफी आवश्यकता है । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें कुछ मित्र राष्ट्रों से सहायता मिली भी है । और इसके लिये हम उन के आभारी हैं । यह बात स्मरणीय है कि हमें चाहे जो कुछ सहायता मिले वास्तव में भार तो हमारी जनता पर है क्योंकि हमें वह सहायता ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी । कुछ लोगों का (विशेषतः पाकिस्तान का कहना है कि हम जो यह सहायता ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से तो असैनिक कार्यों के लिये है किन्तु वस्तुतः यह प्रतिरक्षा के लिये है । मैं कहूंगा कि उन का ऐसा सोचना ग़लत है । क्योंकि विदेशों से हमें जो सहायता मिलती है उसके फलस्वरूप हमारे अपने संसाधन प्रतिरक्षा के लिये नहीं बचे रहते जैसाकि कुछ लोगों ने कहा है । किन्तु यह दूसरी बात है कि बढ़ते हुए औद्योगीकरण के साथ हमारी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है ।

प्रस्ताव

यदि विदेशी मुद्रा हमें न मिले तो शायद हम योजना की क्रियान्वित न कर सकें। लेकिन साथ ही यह भी ठीक है कि विदेशी मुद्रा का हमारे ऊपर अतिरिक्त भार है। गत दस वर्षों में बहुत से उपक्रमों की स्थापना हुई है। आज हमारे यहां लोकोमोटिव, गाड़ी के डिब्बे, वैगन, मशीनी औजार बनाने वाले बहुत से कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त हम और भी कारखानों की स्थापना कर रहे हैं। अन्ततोगत्वा इससे हमारा लाभ ही होगा। तीसरी योजना के दौरान में हम कृषि उत्पादन में ३० प्रतिशत, खाद्यान्न में ३२ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में ७० प्रतिशत, इस्पात इगनोट में १६३ प्रतिशत, अल्मूनियम में ३३२ प्रतिशत, मशीनी औजार में ४४५ प्रतिशत और विद्युत् मे १२३ प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते हैं।

निर्यात पर अधिक महत्व दिया गया है। यह ठीक भी है क्योंकि निर्यात के द्वारा ही इन बड़े बड़े ऋणों की अदायगी हो सकती है। अतः निर्यात बढ़ाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आजकल निर्यात के लिये जो बाजार है हम चाहते हैं कि उन के अतिरिक्त और भी बाज़ार हो। इस क्षेत्र के लिये हमें प्रयत्न करना होगा।

यह तीसरी योजना प्रतिरक्षा के लिये कुछ नहीं करती। गत दस वर्षों के दौरान में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। सिद्धान्ततः यह बात है कि प्रतिरक्षा की उन्नति औद्योगिक उन्नति पर निर्भर करती है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ चीजें हम ने अपने यहां तैयार की हैं। ये चीजें उतनी बढ़िया तो नहीं हैं जितनी कि होनी चाहियें लेकिन हम ने इस क्षेत्र में भी प्रगति की है। यह सत्य अवश्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विज्ञान में हम ने काफ़ी उन्नति की है। साथ ही यह भी ठीक है कि कोई भी विज्ञान उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वैज्ञानिकों को पूर्ण स्वतंत्रता न हो। चाहे सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैरसरकारी क्षेत्र लेकिन तब तक उन्नति नहीं हो सकती जब तक कि जोखम न उठाया जाये।

यह बात भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार कार्य करते हैं। हमने विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाया है। यह सत्य है कि प्रशासकों की बड़ी आवश्यकता है तथा उन्हें महत्व देने की भी ज़रूरत है लेकिन देखने में यह आया है कि आज वैज्ञानिक एवं प्रविधिक ही समाज का नियंत्रण कर रहे हैं। अतः इनको उचित सुविधायें एवं अवसर देने की आवश्यकता है। ताकि वे अच्छी तरह उन्नति कर सकें। हमें आज नये विश्व का, नये भारत का निर्माण करना है। सभी देश प्रगति पथ पर हैं वहां वैज्ञानिकों एवं प्रविधिज्ञों को उन्नति करने के लिये उचित अवसर एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम ने भी इस सिलसिले में एक योजना तैयार की थी और उस योजना पर पूर्ण रूप से तो नहीं किन्तु आंशिक रूप में उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है।

कृषि के सम्बन्ध में एक विचित्र कठिनाई है। वस्तुतः कृषि कालेजों में ऐसे ही मलोग भरती होते हैं जिन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिल सकता है। अर्थात् कृषि प्रशिक्षण में सर्वोत्त विद्यार्थी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। भले ही हम यह कहते रहें कि कृषि को पूर्ववर्तिता दी जाती है। क्या इस का कारण यह है कि कृषि स्नातक का भविष्य उतना उज्जवल नहीं समझा जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस ओर विचार किया जाये और उन के लिये अधिक अच्छे भविष्य की संभावनायें प्रस्तुत की जायें।

सामान्य दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हमे प्रत्येक काम की वस्तुगत दृष्टिकोण रख कर करना चाहिये। हमें केवल अपना ही कार्य नहीं करना चाहिये अपितु अपने काम को जटिल कार्य का एक अंग समझना चाहिये। प्रत्येक संस्था या विभाग का दृष्टिकोण यही होना चाहिये केवल अपनी फाइलें निपटाना नहीं। जहां लोग ऐसा करते है वहां लोग अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। यद्यपि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस दृष्टिकोण के अभाव में सफलता भी मिली है तथापि इतनी नहीं कि जितनी अन्यथा मिल सकती थी ।

सभा को यह स्मरण होगा कि हमने कुछ समय पूर्व, देश की अतिरिक्त आय का कैसे और कहां विभाजन होता है, तथा किस सीमा तक देश की आय का केन्द्रीयकरण हो रहा है, इत्यादि विषयों पर एक समिति नियुक्त की थी । यह विषय बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है । मैं समिति के कुछ सदस्यों से मिला भी, उन्हों ने कहा कि वे इस पर कार्य कर रहे हैं और वस्तुतः यह प्रश्न उनकी कल्पना से अधिक जटिल निकला है । ऐसे जटिल विषय की आप मोटे सिद्धान्तों का रूप दे कर टाल नहीं सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि समिति कुछ ठोस सिफारिशें करेगी जिन्हें हम स्वीकार कर सकते है ।

सभा को इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना है । तथापि यह तथ्य है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास कुछ बुनयादी तथ्यों पर आधारित हैं । बुनियादी बात यह है कि भारत और विश्व में शांति रहनी चाहिये । यदि विश्व में महायुद्ध हो जाये तो हमारी योजना की धज्जियां उड़ जायेंगी । इसी प्रकार यदि हम भारत में धर्म, जाति या भाषा के नाम पर इस प्रकार लड़ते रहेंगे तो इस से योजना के कार्य पर आघात होगा फलस्वरूप इस से भारत के भविष्य को चोट पहुंचेगी ।

यहां मैं पंजाब की अशांत स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं । यद्यपि इसका योजना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तथापि इससे यह स्पष्ट है कि जनता दलगत और जातिगत दलबन्दियों में उलझी हुई है तथा उन्हें भारतीयता अथवा आधुनिक भारत के संबंध में कोई जिज्ञासा या प्रेम नहीं है । वे ऐसे विषयों में उलझे रहते हैं जो अपेक्षाकृत तुच्छ हैं तथा जिन्हें यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो निपटाया जा सकता है । पंजाब अपने शौर्य के लिये प्रसिद्ध है तथा पंजाब के लोग अपनी वीरता के लिये विख्यात हैं दुख की बात है कि आन्तरिक विवादों के लिये उनकी वीरता का दुरुपयोग किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि इस दलदल से मुक्ति का कोई मार्ग निकल आयेगा ।

यद्यपि यह प्रश्न भाषा से उत्पन्न हुआ है तथापि अब भाषा का कोई प्रश्न इस मामले में अन्तर्ग्रस्त नहीं है । यह प्रश्न अब भाषा से हट कर दूर जा खड़ा हुआ है क्योंकि बुनियादी रूप से भी यह भाषा का प्रश्न नहीं था । वस्तुतः यह एक साम्प्रदायिक प्रश्न है जिसे भाषा का लिबास पहिना दिया गया है । जहां तक भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाबी पंजाब की एक व्यापक भाषा है । यद्यपि पंजाब के कुछ भागों में हिन्दी की भी प्रधानता है । तथापि पंजाबी वहां की मुख्य भाषा है और वह काफी बड़ी संख्या में उस भाग में भी बोली और समझी जाती है । ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पंजाबी बोल या समझ नहीं सकते हैं । हरियाना में भारत विभाजन के बाद से पंजाबी बोलने वाले काफी लोग बस चुके हैं । पंजाब का आप भले ही किसी प्रकार विभाजन करें, लोगों की काफी बड़ी संख्या असंतुष्ट रह जायेगी और वही समस्यायें और गम्भीर रूप में पैदा हो जायेगी । अतः इस तनाव और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी किया जायेगा उसके परिणाम अशुभ होंगे ।

भाषा के प्रश्न पर दस या बारह दिन पहिले मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । हमने तीन दिनों तक देश में भाषा की स्थिति पर चर्चा की । हम कुछ नतीजों

पर पहुंचे उनमें से अधिकांश पहिले के नतीजों से ही उत्पन्न होते हैं । तथापि कुछ परिवर्तन भी किये गये जिनका परिणाम मेरे विचार से अच्छा होगा । मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय किये गये उनका भारत में सर्वत्र स्वागत हुआ है । मेरे विचार से वे भविष्य के लिये अच्छे आधार का काम देंगे ।

भाषा के संबंध में हमारी सरकार या संविधान ने जो नीति अपनायी है वह कदाचित अत्यधिक उदार नीति है । भाषा के संबंध में कई देशों को काफी आपत्ति सहनी पड़ी है । उदाहरणार्थ श्री लंका में इस संबंध में काफी गड़बड़ी पैदा हुई । तथापि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में उदार नीति बरती है और हमारे संविधान में १२ या १४ राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गयी है । इसके अतिरिक्त मातृ भाषाओं तथा अल्पसंख्यक भाषाओं की सुरक्षा का भी उपबंध किया गया है । इन बातों के क्रियान्वित करने पर भारत में विवाद का कोई कारण खड़ा हो ही नहीं सकता है ।

भाषा के प्रश्न को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु शिक्षा के स्तर से देखना चाहिये । उसे राजनैतिक संतुलन को बदलने का साधन नहीं बनाना चाहिये । अतः इन बातों को भाषा के प्रश्न से नहीं मिलाना चाहिये ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मुख्य मंत्री सम्मेलन में राष्ट्रीय एकीकरण और भाषा के प्रश्न पर विचार किया । उन्होंने अन्य विषयों पर भी विचार किया तथा उन पर विचार चलता रहेगा । क्योंकि यह प्रश्न एक जाग्रत प्रश्न है । इसके पश्चात् हमने निश्चय किया कि अधिक व्यापक पहल लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया जाये, जिसमें सभा के तथा सभा के बाहर के सभी दलों के प्रतिनिधि रहेंगे । यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना होगा न कि दलगत दृष्टिकोण से । यह सम्मेलन कदाचित २८ से ३० सितम्बर तक दिल्ली में होगा । संसद के सभी पक्षों के नेता इसमें भाग लेंगे और इसमें सहायता करेंगे । वस्तुतः यदि हमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना है तो राष्ट्रीयएकीकरण का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

समाप्त करने के पूर्व में उस प्रतिवेदन से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं । आयोजित विकास के परिच्छेद के अंत में पृष्ठ १९ में यह लिखा गया है :

> "वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्न का नाम योजना है । सरकारी विभागों (एजेंसियों) को सभी महत्वपूर्ण निर्णय इन सामाजिक प्रयोजनों को ध्यान में रख कर करने चाहिये ।"

यदि विभिन्न एजेंसियां विरोधी दिशाओं में खींचेंगी तो योजना टूट जायेगी । अतः वे प्रमुख एजेंसियां जो योजना को क्रियान्वित करती हैं और इसका निश्चय करती हैं उनको यह आधार प्रयोजन ध्यान में रखना चाहिये ।

"पांच वर्ष की अवधि के लिये विचार करते हुए भी हमें आगामी दीर्घकालीन योजना पर भी विचार करना है । वस्तुतः आगे आने वाले समय के लिये योजना बनाना आयोजन का मुख्य तत्व है । जैसे जैसे इस प्रक्रिया का विकास होता जाता है जनता के विकास में एक गति आ जाती है । उनमें उपक्रम एवं प्रगति की भावना आ जाती है । वे जीवन के उद्देश्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और उनमें यह भावना आ जाती है कि वे इतिहास का निर्माण कर रहे हैं । अन्ततोगत्वा व्यक्ति का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है । भारत की जनता अपने समस्त भार और समस्याओं के साथ नये युग के द्वार पर खड़ी है । इस के पार जाने के लिये उन्हें साहस, उपक्रम, सहनशीलता, श्रम और भविष्य के प्रति उदात्त चेतना की आवश्यकता है ।"